उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-148/2021/2265/30-3-21-17बी/2016

लखनऊ, दिनॉक 10 सितम्बर, 2021

<u>संशोधन/शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-2041-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 107.58 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में शाासनादेश संख्या-52/2021/1236/30-3-21-17बी/2016, दिनांक 28 अप्रैल, 2021 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-1 की मदवार तालिका की अन्तिम मद संख्या- "58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान" **के स्थान पर** "56-नगर प्रतिकर भत्ता", त्रुटिवश अंकित हो गया है।

अत: शाासनादेश दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के प्रस्तर-1 की मदवार तालिका की अन्तिम मद संख्या- "56-नगर प्रतिकर भत्ता" के स्थान पर "58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान" **पढ़ा जाय।**

2- उक्त शासनादेश दिनांक 28 अप्रैल, 2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

ह0/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-148/2021/2265(1)/30-3-2021, तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
4- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।